५ रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

१० रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(74)

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय माननीय ~~अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर~~

प्र.क्र. /2014 ~~द्वितीय अपील~~ निगरानी निग-664-I-14

प्रकाश पुत्र श्री मांगीलाल जाटव, आयु–36 वर्ष, निवासी– ग्राम कौशलपुर तहसील व जिला श्योपुर ......अपीलार्थी

बनाम

1. पाना पुत्री गेन्दया आदिवासी पत्नी देवू आदिवासी, निवासी– ग्राम महाराजपुर तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर
2. जानकी बाई पुत्र गेदया आदिवासी पत्नी जयपाल आदिवासी, निवासी– ग्राम रतोदन तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर
3. फूलाबाई पुत्री गेन्दया आदिवासी, निवासी– ग्राम भेरुखेड़ी तहसील व जिला श्योपुर
5. म.प्र. शासन जर्ये एस.डी.ओ. श्योपुर ......रेस्पोन्डेंट्स

निगरानी ~~अपील~~ अन्तर्गत धारा 50 ~~44~~ म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकित 24.12.2013 पारित द्वारा श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, जिलाधीश श्योपुर प्रकरण क्रमांक 6/2013–14/अपील राजस्व प्रकाश बनाम पाना व अन्य

माननीय न्यायालय

सविनय निगरानीकर्ता ~~अपीलार्थी~~ की अपील, निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिपत तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोन्डेंट क्रमांक 1 लगायत 3 ने उनके स्वामित्व व आधिपत्य की स्थित ग्राम फिलोजपुरा की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 279 रकबा 14 विस्वा, सर्वे क्रमांक 281 रकबा 14 बीघा, सर्वे क्रमांक 306 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा कुल रकबा 16 बीघा 17 विस्वा भूमि के विक्रय की परमिशन हेतु अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर को आवेदन पत्र दिया जिस पर से अपर कलेक्टर महोदय ने प्रकरण क्रमांक 10/अ–21/97–98/4247/4248 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2000 से भूमि विक्रय की परमिशन दी गई । उक्त परमिशन प्रकरण रेस्पोन्डेंट क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि वह तीनों अपने–अपने ससुराल में रहती हैं इस कारण ग्राम फिलोजपुरा की भूमि पर खेती करने में परेशानी होती हैं । इसके अलावा उक्त रेस्पोन्डेंट जानकीबाई के पति के नाम ग्राम रतोदन में 5 बीघा 7 विस्वा भूमि पहले से हैं और पानाबाई के पति के नाम महाराजपुर में 17 बीघा कृषि भूमि हैं तथा वह ग्राम

क्रमश....

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 664–एक/2014 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
14–2–19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर श्योपुर में पारित आदेश दिनांक 14.6.06 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 **अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना**	